



1-दहेज की मांग कर तीन तलाक देने का आरोपी गिरफ्तार, थाना सोनकपुर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 18-10-2022 को वादिनी निवासी थाना सोनकपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से दहेज की मांग करने, मांग पूरी न होने पर मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने, पति द्वारा तीन तलाक देने आदि के संबंध में थाना सोनकपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सोनकपुर पर मु0अ0सं0- 73/2022 धारा 498ए/323/504/506/354 भा0द0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 व 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधि0 2019) पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03-11-2022 को उ0नि0 श्री रामनिवास थाना सोनकपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त दानिश पुत्र सत्तार निवासी ग्राम करनपुर थाना डिडौली, अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

2- दहेज की मांग कर तीन तलाक देने का आरोपी गिरफ्तार, थाना सिविल लाईन्स:-

अवगत कराना है कि दिनांक 04-10-2022 को वादिनी निवासी थाना नागफनी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करने, गाली गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने तथा पति द्वारा तलाक देने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0 - 871/2022 धारा 498ए/323/504/506 भादवि व 3 /4 दहेज अधिनियम व 3 /4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019) पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03-11-2022 को म0उ0नि0 स्वाति राणा थाना सिविल लाईन्स द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त इरशाद अली पुत्र रसीद लंगड़ा निवासी नेत्रराम समोसे वालो की गली निकट अरमान जहां परचून की दुकान के सामने पुराना आरटीओ चक्कर की मिलक थाना सिविल लाईन्स मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

3-गौवंशीय पशु की हत्या करने के 02 आरोपी गिरफ्तार, थाना कांठ:-

अवगत कराना है कि दिनांक 01-11-2022 को वादी श्री उदय सिंह पुत्र थान सिंह निवासी ग्राम फोल्डा पट्टी थाना छजलैट, मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा गौवंशीय पशु की हत्या करने के संबंध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 400/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03-11-2022 से उ0नि0 श्री ललित चौधरी थाना कांठ द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्तगण 1-इंशाद अली पुत्र अली हुसैन निवासी अधमपुर थाना कांठ, मुरादाबाद 2-सरताज पुत्र नन्देशाह निवासी ग्राम बिचपुरी थाना कांठ, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

4-सट्टे की खाईबाडी करने का आरोपी गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 02-11-2022 की रात्रि को व0उ0नि0 श्री पवन कुमार शर्मा थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त खुर्शीद अंसारी उर्फ बाबा पुत्र रशीद अंसारी निवासी दोहन्नी मोहल्ला महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को सट्टे की खाईबाडी करते हुये एक रजिस्ट्रर पर्चा सट्टा, चार डॉट पेन व 6690/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0-322/2022 धारा 13 जी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

5-गौवंशीय पशु को वध करने के आशय से क्रूरता पूर्वक बांधने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना मैनाठेर:-

अवगत कराना है कि दिनांक 16-10-2022 को उ0नि0 श्री वेदपाल सिंह थाना मैनाठेर ने अभियुक्तगण द्वारा गौवंशीय पशु को वध करने के उद्देश्य से क्रूरता पूर्वक बांधने तथा मौके पर पशु काटने के उपकरण छोडकर भाग जाने के संबंध में थाना मैनाठेर पर मु0अ0सं0 - 308/2022 धारा 3/8 सी0एस0 एक्ट व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03-11-2022 को उ0नि0 श्री उम्मेद सिंह पोसवाल थाना मैनाठेर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के वांछित अभियुक्त मौ0 सालिम हुसैन पुत्र तालिब हुसैन निवासी ग्राम फत्तेहपुर खास थाना मैनाठेर, मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।